मुख्य सचिव, उ0 प्र0 शासन की अध्यक्षता में आयोजित उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड की कार्यकारी समिति की पॉचवीं बैठक का कार्यवृत्त

दिनॉक : 24 अक्टूबर, 2018
समय : 1.00 बजे अपराह्न
स्थान : मुख्य सचिव सभागार, कक्ष सं0–117, प्रथम तल, लोक भवन, लखनऊ।

उपस्थिति पत्रक संलग्न है।

उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड की पॉचवीं बैठक मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में लोक भवन स्थित मुख्य सचिव सभागर में आयोजित हुई। अध्यक्ष महोदय की अनुमति से सदस्य संयोजक द्वारा बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुये एजेण्डावार प्रस्तुतीकरण किया गया जिसके कम में समिति द्वारा लिये गये निर्णय/दिशा निर्देश निम्नवत् हैं :–

एजेण्डा संख्या–1

कार्यकारी समिति की चतुर्थ बैठक दिनॉक– 21.06.2018 की अनुपालन आख्या प्रस्तुत करना।

कार्यवाही :

सदस्य संयोजक द्वारा कार्यकारी समिति की चतुर्थ बैठक दिनॉक 21.06.2018 की अनुपालन आख्या को प्रस्तुत किया गया। बैठक में उपस्थित सदस्यों/पदाधिकारियों द्वारा इस पर सहमति व्यक्त की गयी।

एजेण्डा संख्या–2

उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड के सुदृढ़ीकरण के प्रस्ताव पर कार्यकारी समिति की सहमति प्राप्त करना।

कार्यवाही :

सदस्य संयोजक द्वारा कार्यकारी समिति को अवगत कराया गया कि जून, 2018 में **"राष्ट्रीय जैव ईधन नीति"** भारत सरकार द्वारा जारी कर दी गयी है तथा इस नीति के कियान्वयन में राज्यों से की गयी अपेक्षाओं के कम में सचिव, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार के अर्द्ध शासकीय पत्र सं0–P-13032(17)/5/2018-CC(p-25948) दिनॉक 03.08.2018 का सन्दर्भ प्रस्तुत करते हुये सदस्य संयोजक द्वारा (दिनॉक 28 अगस्त, 2018 को मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में दिये गये निर्देश के अनुपालन के कम में उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड की वर्तमान संरचना के सुदृढ़ीकरण का प्रस्ताव कार्यकारी समिति को प्रस्तुत किया गया।

सदस्य संयोजक द्वारा प्रस्तुत इस प्रस्ताव पर मा0 कार्यकारी समिति ने सहर्ष सहमति प्रदान की। साथ ही उक्त महत्वपूर्ण कार्यकम का प्रोजेक्ट मोड में प्रभावी एवं समयबद्ध कियान्वयन के उद्देश्य से बोर्ड की वर्तमान संरचना के सुदृढ़ीकरण का भी निर्णय कार्यकारी समिति द्वारा लिया गया तथा अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रशासनिक विभाग को इस विषय पर शीघ्र कार्यवाही के निर्देश प्रदान किये गये।

उक्त क्रम में सदस्य संयोजक द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों से जैव ऊर्जा उद्यमों हेतु उपलब्ध कराये जाने वाले वित्तीय संसाधनों के कन्वर्जेन्स/सहयोग के माध्यम से प्रदेश में जैव ऊर्जा उद्यमों के क्रियान्वयन की रूप–रेखा प्रस्तुत की गयी। समिति को यह भी अवगत कराया गया कि इस प्रयास से जहॉ एक ओर प्रदेश सरकार पर जैव ऊर्जा उद्यमों के संचालन हेतु वित्तीय अधिभार कम होगा वहीं इन परियोजनाओं में डुप्लीकेसी को भी नियंत्रित किया जाना सरल हो जायेगा। प्रदेश में जैव ऊर्जा उद्यमों के क्रियान्वयन की सहजता एवं सरलता के उद्देश्य से नाबार्ड का सहयोग पूर्व से ही प्राप्त हो रहा है जबकि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय के अधीन प्रदेश में कार्यरत **प्रोसेस एण्ड प्रोडक्ट डवलपमेण्ट सेन्टर (पी0पी0डी0सी0), आगरा, फ्लेवर एण्ड फेगरेंस डवलपमेंट सेन्टर (एफ0एफ0डी0सी0), कन्नौज के साथ–साथ राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम एवं कृषि मंत्रालय के अधीन कार्यरत राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, स्माल फार्मस एग्री बिजनेस कन्सोरसियम एवं नेफेड** के साथ बोर्ड द्वारा आवश्यक समन्वय किया जा रहा है। इससे प्रदेश के कृषकों के सतत आय संवर्द्धन के साथ–साथ कृषक उद्यमिता को भी बढ़ावा देने में सहयोग प्राप्त होगा तथा आवश्यक वित्तीय संसाधन (फाइनेंशियल फैसलिटेशन) की पूर्ति भी भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं से प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त हो सकेगी।

सदस्य संयोजक द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि नेफेड अपने बिजसनेस पार्टनर के साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों से उत्पादित होने वाले सह उत्पाद प्रेस मड पर आधारित 05 बायो–सी0एन0जी0 संयंत्र की स्थापना हेतु बोर्ड को प्रस्ताव भी प्रेषित किया जा चुका है। इस पर उ0प्र0 सहकारी चीनी मिल संघ के साथ समन्वय बोर्ड स्तर पर किया जा रहा है। उक्त समस्त कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार के अधीन कार्यरत संगठनों/संस्थानों से बोर्ड स्तर पर समारोह पूर्वक एम0ओ0यू0 किया जाना प्रस्तावित है। **(कार्यवाही : उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।)**

एजेण्डा संख्या–3

इण्डियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा बोर्ड को प्रस्तुत बायो सी0एन0जी0 एक्शन प्लॉन 2018–21 के सम्बन्ध में कार्यकारी समिति को अवगत कराना तथा इसे वैल्यू चेन मैकेनिज्म के अन्तर्गत उद्यमिता मोड में क्रियान्वित करने हेतु कार्यकारी समिति की सहमति प्राप्त करना।

कार्यवाही :

इण्डियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा वर्ष 2018–21 की अवधि में प्रदेश के विभिन्न जनपदों में कृषि, पशुपालन तथा अन्य जैव अपशिष्टों पर आधारित बायो सी0एन0जी0 उत्पादन की 650 इकाईयॉ स्थापित करने के प्रस्ताव पर दिनॉक 28.08.2018 को मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में निर्णय लिया गया था। इस परियोजना के क्रियान्वयन हेतु बोर्ड को आवश्यक सहयोग (फैसिलीटेशन) प्रदान करने के निर्देश दिये गये थे। सदस्य संयोजक द्वारा इस सम्बन्ध में कार्यकारी समिति के समक्ष सम्बन्धित कार्यक्रम के क्रियान्वयन

की सहमति प्रदान करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसके क्रम में कार्यकारी समिति ने इस महत्वाकांक्षी कार्ययोजना के क्रियान्वयन में बोर्ड को फैसिलिटेटर की भूमिका अदा करते हुये प्रत्यक्ष सहयोग प्रदान करने के निर्देश प्रदान किये गये।

(कार्यवाही : उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड इण्डियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड)

एजेण्डा संख्या–4

शासनादेश संख्या : 4/2018/151/35–1–2018–2/1(35)/2017 दिनांक 21 फरवरी, 2017 के बिन्दु संख्या : 10 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु बोर्ड द्वारा किये जा रहे कार्यों से कार्यकारी समिति को अवगत करना।

कार्यवाही :

सदस्य संयोजक द्वारा कार्यकारी समिति को अवगत कराया गया कि **"जैव ऊर्जा उद्यम प्रोत्साहन कार्यक्रम कियान्वयन के दिशा निर्देश"** विषयक शासनादेश संख्याः 4/2018/151/35–1–2018–2/1(35)/2017 दिनांक 21 फरवरी, 2017 में बोर्ड द्वारा तैयार किये गये तथा मा0 मंत्रिमण्डल द्वारा अनुमोदित पॉलिसी डाक्यूमेण्ट में उद्यमों की स्थापना हेतु कियान्वयन का अधिकार अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग को बिन्दु सं0–2.4 दिया गया है। इसी नीतिगत निर्णय के बिन्दु सं0–10 के क्रम में जैव ऊर्जा उद्यम को आवश्यक कच्चे माल की उपलब्धता सुनिश्चित करना, किसानों के पर्यावरण अनुकूल परिस्थितियों में आय संवर्द्धन सम्बन्धित एजेण्डे की पूर्ति करना, कृषक उद्यमिता के विकास (एग्रीप्रेन्योरशिप) इत्यादि से सम्बन्धित कार्य बोर्ड को प्रदान किया गया है जिसके आलोक में बोर्ड द्वारा प्रदेश के 27 जनपदों में से प्रत्येक में नाबार्ड के सहयोग से पॉच–पॉच एफ0पी0ओ0 का गठन किये जाने की कार्यवाही की जा रही है। इन फार्मर प्रोडयूसर कम्पनीज में सम्मिलित किसानों को बोर्ड के सहयोग से पर्यावरण अनुकूल कृषि कार्यक्रम के अन्तर्गत लेमनग्रास प्रदर्शन कृषि का कार्य समूहगत आधार पर कराया गया जिसके परिणाम काफी सार्थक प्रतीत हो रहे हैं तथा सम्बन्धित किसानों को औसतन रू0 1.00 लाख से 1.25 लाख तक की शुद्ध आय प्रतिवर्ष प्राप्त हो रही है। यह फसल बहुवर्षीय प्रजाति की होती है तथा इसका कार्यकाल पॉच वर्ष का होता है। इस प्रयास से **लोक कल्याण संकल्प पत्र–2017** में वर्णित किसानों की आय सम्वर्द्धन के एजेण्डे को भी गति प्राप्त हो रही है।

सदस्य संयोजक द्वारा प्रस्तुत उक्त विवरण के क्रम में मुख्य सचिव महोदय द्वारा प्रसन्नता व्यक्त की गयी किन्तु जैव ऊर्जा उद्यमों के क्रियान्वयन में हो रही देरी पर चिन्ता जाहिर करते हुये इसे शीघ्र क्रियान्वित करने के निर्देश प्रदान किये गये। तत्क्रम में बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त नीति के बिन्दु सं0– 2.4 में लिये गये निर्णय के आलोक में कियान्वयन प्रकिया को उचित गति नहीं मिल पा रही है। इसी आलोक में बोर्ड के पदेन उपाध्यक्ष एवं प्रदेश के कृषि उत्पादन आयुक्त ने समिति के समक्ष प्रस्ताव किया कि प्रशासनिक विभाग नीति के बिन्दु संख्या– 2.4 को विलोपित करने की कार्यवाही जब तक नही कर लेता तब तक कियान्वयन प्रकिया में गति नहीं आ सकती है क्योंकि यह दोनो विभागों के आपसी समन्वय का विषय है। जब मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में एक स्वतंत्र बोर्ड का

गठन किया जा चुका है तो प्रदेश की जैव ईधन–नीति के प्रभावी कियान्वयन की सम्पूर्ण जिम्मेदारी भी बोर्ड को ही सौंपना चाहिए। भारत सरकार की जैव ईधन नीति–2018 में लिये गये निर्णय के कम में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव द्वारा राज्यों से इस कार्य हेतु स्वतंत्र बोर्ड के गठन हेतु अनुरोध भी किया गया। अतः उचित होगा कि नीति के प्रस्तर– 3.00 के आलोक में प्रशासनिक विभाग उक्त बिन्दु सं0– 2.4 के विलोपन की कार्यवाही शीघ्र कर लें। इस पर मुख्य सचिव महोदय द्वारा अपनी सहमति व्यक्त करते हुये प्रशासनिक विभाग को शीघ्र आवश्यक कार्यवाही के निर्देश प्रदान किये गये।

(कार्यवाही : उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन,)

एजेण्डा संख्या–5

वित्तीय वर्ष 2018–19 की अब तक की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति से कार्यकारी समिति को अवगत करना ।

कार्यवाही :

सदस्य संयोजक द्वारा वर्ष 2018–19 की अवधि में दिनॉक 30 सितम्बर, 2018 तक भौतिक एवं वित्तीय प्रगति का विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत किया गयाः–

क0सं0	योजना/कार्यकम का विवरण	संख्या
1.	फार्मर प्रोडयूसर कम्पनियों (एफ0पी0ओ0) का गठन	17
2.	पूर्व से कार्यरत कृषक समूहो की कुल संख्या जिनका पंजीयन आर0ओ0सी0 (रजिस्ट्रार आफ कम्पनीज) में लम्बित हैं	50
3.	लेमनग्रास की व्यावसायिक कृषि	
(अ)	लाभार्थी किसानों की कुल संख्या	493
(ब)	कुल रकबा	488 एकड़
(स)	कुल व्यय	59.54 लाख
4.	सहजन की पायलेट कृषि हेतु चयनित जनपद	14
(अ)	चयनित रकबा	100 एकड़
5.	बी0इ0एम0सी0 मॉडल बायोगैस संयंत्र की स्थापना	02
6.	कृषक उद्यमिता (एग्रीप्रेन्योरशिप) प्रशिक्षण कार्यकम	15
(अ)	प्रशिक्षित लाभार्थियों की संख्या	375
(ब)	अनुमानित व्यय	19.50 लाख

बोर्ड द्वारा किये गये उक्त कार्यो से मा0 कार्यकारी समिति ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुये इसे सम्पूर्ण प्रदेश में कियान्वित करने के निर्देश प्रदान किये।

एजेण्डा संख्या–6

नीति आयोग, भारत सरकार द्वारा संचालित मेथेनॉल कुक स्टोव की पायलेट परियोजना के क्रियान्वयन प्रक्रिया की वर्तमान प्रगति से कार्यकारी समिति को अवगत कराना तथा इसकी निरंतरता बनाये रखने में सहयोग प्रदान करने हेतु कार्यकारी समिति की सहमति प्राप्त करना।

कार्यवाही :

सदस्य संयोजक द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त करते हुये कार्यक्रम के क्रियान्वयन के निर्देश समिति द्वारा प्रदान किये गये।

एजेण्डा संख्या–7

वित्तीय वर्ष 2019–20 की प्रस्तावित कार्ययोजना पर कार्यकारी समिति की सहमति प्राप्त करना।

कार्यवाही :

सदस्य संयोजक द्वारा उक्त प्रस्ताव के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि बोर्ड द्वारा पूर्व से कार्यरत 27 जनपदों के अतिरिक्त 18 अन्य जनपदों में भी फार्मर प्रोडयूसर कम्पनी के गठन का कार्य 2019–20 के अंत तक पूर्ण कार्य लिया जायेगा। प्रत्येक जनपद से 10 रिर्सोस फार्मर का प्रशिक्षण कराया जायेगा जिस पर लगभग रू0 22.50 लाख का व्यय अनुमानित है। प्रशिक्षणोपरांत सम्बन्धित कृषक उद्यमियों द्वारा गठित समूहों में लेमनग्रास, पामारोजा, खस इत्यादि की व्यावसायिक प्रदर्शन कृषि, बायोमास रोपण कार्यक्रम, सहजन रोपण कार्यक्रम, बायोडीजल पौधों की नर्सरी स्थापना इत्यादि का कार्य कराया जायेगा। इसके सापेक्ष भौतिक लक्ष्य एवं उसके सापेक्ष आने वाले अनुमानित व्यय का विवरण निम्नवत् हैः–

क0स0	योजना/कार्यकम का विवरण	रकबा	अनुमानित व्यय (लाख रू0 में)
1.	लेमनग्रास प्रदर्शन कृषि कार्य, विधायन तथा विपणन	3000 एकड़	रू0 366.00
2.	पामारोजा प्रदर्शन कृषि कार्य, विधायन तथा विपणन	1000 एकड़	रू0 108.00
3.	खस प्रदर्शन कृषि कार्य, विधायन तथा विपणन	700 एकड़	रू0 140.00
4.	बायोमास (बॉस) प्रदर्शन कृषि कार्य, विधायन तथा विपणन	300 एकड़	रू0 36.00
5.	सहजन की व्यावसायिक प्रदर्शन कृषि कार्य, विधायन तथा विपणन	–	रू0 50.00

उक्त परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु बोर्ड को आउट सोर्सिंग के माध्यम से प्राप्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के मानदेय मद में रू0 50.00 लाख के व्यय का अनुमान है। इसके अतिरिक्त स्वच्छ भारत राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के कृषि कुम्भ–2018 में सहभागिता तथा एफ0एस0एस0ए0आई, भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित आर0यू0सी0ओ0 योजना में सहभागिता के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव पर कार्यकारी समिति द्वारा सहमति व्यक्त करते हुये तत्काल समयबद्ध कार्यवाही के निर्देश प्रदान किये गये।

एजेण्डा संख्या–8

वित्तीय वर्ष 2017–18 की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का प्रस्तुतीकरण एवं मा0 कार्यकारी समिति का अनुमोदन प्राप्त करना।

कार्यवाही :

मा0 कार्यकारी समिति के समक्ष 2018–19 हेतु वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। विस्तृत चर्चा के उपरांत कार्यकारी समिति द्वारा इस प्रस्ताव का अनुमोदन प्रदान किया गया।

तदोपरान्त सदस्य संयोजक द्वारा अध्यक्ष महोदय की अनुमति से सधन्यवाद बैठक समापन की घोषणा की गयी।

संलग्नक : यथोक्त।

(दीपक त्रिवेदी)
अपर मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।

उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड,
(नियोजन विभाग)
कक्ष संख्या : 534–535, पांचवा तल, योजना भवन, लखनऊ,
पत्रांक : 350 /उ0प्र0रा0जै0ऊ0वि0बो0/2018
लखनऊ : दिनांक : 12 ~~नवम्बर~~ 2018

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन/पदेन उपाध्यक्ष।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव,
   नियोजन विभाग/वित्त विभाग/पंचायतीराज विभाग/ग्राम्य विकास विभाग/
   वन एवं पर्यावरण विभाग/सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग,
   उ0प्र0 शासन/पदेन सदस्य।
3. श्री के0वी0 राजू, सलाहकार (आर्थिक सलाहकार), मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0। (विशेष आमन्त्री)
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
5. वित्त नियंत्रक, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन। (विशेष आमन्त्री)
6. अधिशासी निदेशक, इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड, नयी दिल्ली।
7. समस्त प्रतिभागी।
8. विशेष सचिव, नियोजन अनुभाग–1
9. गार्ड फाइल।

12/11/18
(पी0एस0 ओझा)
सदस्य संयोजक
उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड।

मा0 मुख्य सचिव महोदय/पदेन अध्यक्ष, उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड की अध्यक्षता में उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड के कार्यकारी समिति की पांचवी बैठक का उपस्थिति पत्रक :–

स्थान : मुख्य सचिव सभागार, कक्ष सं0 : 117, प्रथम तल, लोक भवन, लखनऊ।
दिनांक : 24.10.2018
समय : अपराह्न 01:00 बजे।

क्र0सं0	अधिकारी का नाम एवं पदनाम	विभाग का नाम	मोबाईल/फोन नं0 एवं ई–मेल	हस्ताक्षर
1.	डा० प्रभात कुमार	कृषि उत्पादन आयुक्त	98105 30048	[signature]
2.	दीपक त्रिवेदी	अपर मुख्य सचिव, नियोजन		[signature]
	के.वी. राजू	EA to CM	9845415305	[signature]
3.	संजय सिंह, सचिव	वन एवं वन्य जीव		[signature]
4.	डा. कुरुविला थोमस मुख्य वन संरक्षक - नियोजन	वन एवं वन्य जीव विभाग	9473527578	[signature]
5.	डा० हरिश्चन्द्र विशेष कार्याधिकारी (Spl. Secy.)	ग्राम्य विकास	9453410724	[signature] 24/10/18

क्र0सं0	अधिकारी का नाम एवं पदनाम	विभाग का नाम	मोबाईल/फोन नं0 एवं ई–मेल	हस्ताक्षर
6.	रवीश गुप्ता, विशेष सचिव	MSME	9456922200 raveeshgupta@ymail.com	[signature]
7.	[illegible] कुमार, विशेष सचिव	वित्त	9454413916	[signature]
8.	डॉ श्रीमती द्विवेदी	वित्त नियंत्रक नियोजन.	9868596750	[signature] 24/10/2018
9.	पी. एन. ओझा, राज्य कार्यक्रम/सहायक संयोजक	उ. प्र. रा. जैव ऊर्जा विकास बोर्ड	9415004917	[signature] 24/10/18
10.				
11.				
12.				

U. P. State Bio-energy Development Board

उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड

उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड के कार्यकारी समिति की पांचवी बैठक दिनांकः 24.10.2018, समय–अपराह्न 01:00 बजे, स्थान–सभागार मुख्य सचिव महोदय, उ0प्र0 शासन, लोकभवन, लखनऊ।